न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 01/2018 ::

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
भंवरसिंह पुत्र देवी सिंह जाति राजपुरोहित निवासी पुरोहितों का बास, खैरवा, तहसील व जिला पाली(राज.)		1. नरपतसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपुरोहित निवासी श्रीमाली ब्राहम्णों का बास, खैरवा तहसील व जिला पाली (राज.) 2. ग्राम पंचायत खैरवा जरिये सरपंच, तहसील पाली जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता प्रार्थी श्री दौलत मकवाना उपस्थित
अप्रार्थीगण अनुपस्थित

-:: नि र्ण य ::-

दिनांक :- 13-8-18

यह निगरानी प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध मिसल संख्या 81/2012-13, संकल्प संख्या 07 दिनांक 20.07.2012 एवं इसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 60 दिनांक 26.12.2012 जो ग्राम पचांयत खैरवा द्वारा जारी किया गया को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाकर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी भंवरसिंह पुत्र देवीसिंह राजपुरोहित ग्राम खैरवा का मूल निवासी है जिसके तीन पुत्र गोरधनसिंह, अप्रार्थी संख्या 1 नरपतसिंह एवं विनयसिंह है। प्रार्थी भंवरसिंह अपने कब्जासूद पुश्तैनी रहवासीय मकान ग्राम खैरवा, पुरोहितों के बास में अपने दो पुत्र गोरधनसिंह एवं विनयसिंह के साथ निवासरत है तथा प्रार्थी का पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 नरपतसिंह प्रार्थी से पिछले कई वर्षो से अलग श्रीमाली ब्राहम्णों के बास, खैरवा में निवासरत है। दिनांक 29.09.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के मकान पर आया तथा प्रार्थी के पुश्तैनी मकान को अपना पट्टासुद मकान कहते हुए बेदखल करने की धमकी दी, तब प्रार्थी को इस बात का ज्ञान हुआ कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 से मिलावट करते हुए उनके पुश्तैनी रहवासीय मकान का नियम विरूद्ध एवं फर्जी पट्टा संख्या 60 जारी करवा दिया, तो प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 से जैर निगरानी पट्टा संख्या 60 इससे संबंधित मिसल एंव बैठक कार्यवाही रजिस्टर की प्रति चाही तो ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत खैरवा ने अपने पत्रांक 2017/एस.पी. 01 दिनांक 30.10.2017 के द्वारा अवगत कराया की उक्त पट्टे के संबंध में मिसल संख्या 81/2012-13 पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टे बिना मिसल कायम किये ही जारी कर दिया जो कि काबिल निरस्त है। अप्रार्थी संख्या 1 ने जैर निगरानी पट्टे का न तो कोई आवेदन दिया, न ही ग्राम पंचायत ने कोई मिसल कायम की न ही कोई आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया तथा न ही मकान के नक्शे बाबत कोई कमेटी का गठन किया गया। ग्राम पंचायत खैरवा ने जैर निगरानी पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियमों की पालना नहीं की है। अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 2 ने जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 157(1) के तहत जारी किया है जिसमें

जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पुराने गृहों के विनियमीतिकरण के संबधं में पट्टा जारी किया जाता है। उक्त मकान प्रार्थी का रहवासी एवं पुश्तैनी मकान है जिसमें उसके एक पुत्र का हक नहीं होकर उसके समस्त वारिशानों का हक है, जिसका हको संबंधी विवाद विधिवत पारिवारीक बंटवाडे के पश्चात ही संभव हो सकता है। इस तरह से मिलावट कर बना फर्जी पट्टा काबिल निरस्त है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर श्रीमान से निवेदन है कि जैर निगरानी पट्टा निरस्त फरमावें।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं ग्राम पंचायत के रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी भंवरसिंह के रहवासीय एवं पुश्तैनी मकान ग्राम खैरवा पुरोहितो के बास में स्थित है। जिसमें वह अपने दो पुत्रों के साथ निवासरत है, उसका पट्टा उसके एक अन्य पुत्र नरपतसिंह के हक में ग्राम पंचायत खैरवा ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 157 (1) के तहत जारी किया है। जैर निगरानी पट्टा के संबंध में ग्राम पंचायत से रेकर्ड तलब करने पर ग्रामसेवक, ग्राम पंचायत खैरवा ने जैर निगरानी पट्टा एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर तो उपलब्ध करवाये लेकिन मिसल ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होने बाबत अपने पत्र में उल्लेख किया है। पंचायत के प्रस्ताव रजिस्टर में लिये गए प्रस्ताव दिनांक 20.07.2012 का अवलोकन किया गया जिसमें जैर निगरानी पट्टे को जारी किए जाने का उल्लेख कहीं नहीं है तथा मिसल कायम नहीं करने से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा जो भी कार्यवाही संपादित की गई वह विधि विरूद्ध अपनी मर्जी अनुसार बिना नियमों के पालना किए कार्यवाही की गई है एवं मिसल कायम नहीं करना पट्टा जारी करने की वैधानिकता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अभाव में की गई कार्यवाही न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। प्रार्थी को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 157 (1) के अन्तर्गत पट्टा जारी किया गया जिसमें पुराने गृहो का विनियमितीकरण करने का प्रावधान है। जैर निगरानी प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार प्रार्थी अप्रार्थी का पिता है एवं उसी मकान में अपने दो अन्य पुत्रों के साथ निवासरत है। इस स्थिति में जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर बने मकान में पुराने समय से पिता रहता आ रहा है। अप्रार्थी से भी अधिक पुराना रहवास पिता का होने के कारण जैर निगरानी मकान का पट्टा पिता के नाम ही बनाया जाना चाहिए था। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी मकान का उसी मकान में निवासरत होते हुए भी विक्रय विलेख पुत्र के नाम जारी कर दिया जो पुत्र उस मकान में रहता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में गैर निगरानी विक्रय विलेख को यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के निमय 157(1) के अधीन पट्टे में उल्लेखित शर्त संख्या 1 के अनुसार 50 वर्ष से अधिक से संनिर्मित किया गया एवं कब्जा सुदा मकान होना अंकित है। लेकिन पिता के रहते पुत्र का कब्जा 50 वर्षो से अधिक समय का नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में भी पट्टा यथावत रखा जाना विधि सम्मत नहीं हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत खैरवा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में मिसल संख्या 81/2012–13, संकल्प संख्या 07 दिनांक 20.07.2012 एवं इसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 60 दिनांक 26.12.2012 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत खैरवा का रेकर्ड लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 13-8-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।,

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर, पाली
जिला मजिस्ट्रेट, पाली